District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 85 of 2024

(Jamui P.S. Case No.- 35/2023)

Date of Judgement : 24-03-2026

State of Bihar through informent Shobha Devi Vs. Gannu Yadav & others

बिहार राज्य द्वारा सूचिका शोभा देवी

बनाम

1. **त्रिवेणी यादव,** उम्र 65 वर्ष, पिता–डेगो यादव,
2. **गन्नु यादव,** उम्र 55 वर्ष, पिता–गुली यादव,
3. **ललटु यादव,** उम्र 50 वर्ष, पिता–गन्नु यादव,
4. **पलकू यादव** उम्र 30 वर्ष, पिता–गुली यादव,
5. **कुशल यादव** उम्र 40 वर्ष, पिता–गुली यादव,
6. **कुमार यादव** उम्र 65 वर्ष, पिता–मगर यादव,

सभी निवासी ग्राम–दुधकोसई, थाना–सोनो, जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 448, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री राजकुमार प्रवीण, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–24.03.2026

निर्णय

1. कांड की सूचिका शोभा देवी पति कैला भुल्ला के द्वारा थानाध्यक्ष, जमुई एस.सी./एस.टी. थाना को दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर जमुई एस.सी./एस.टी. थाना में यह कांड प्राथमिकी संख्या–35/2023 के रूप में भा0द0वि 341, 323, 448, 324, 354, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अनुसंधान उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी के अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–16/2024, भा0द0वि 341, 323, 448, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया। परिणामस्वरूप इस मामले में उपरोक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के करने के लिये संज्ञान लिया गया।

2. कांड की सूचिका शोभा देवी पति कैला भुल्ला द्वारा थानाध्यक्ष, थाना जमुई एस.सी./एस.टी. को दिये गये लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि दिनांक–07.10.2023 दिन शनिवार समय शाम 4 बजे उसके ही गांव के गुन्नू यादव, त्रिवेणी यादव, ललटू यादव, पलकु यादव, कुशल यादव, कुमार यादव ने एक साथ मिलकर उसके घर आये तथा उसे लात फैट से मारपीट करने लगे और गाली देते हुए बोले कि ''भोसड़ी रंडी मुसहरनी आज तुझे बर्बाद

कर देंगे।'' उसके चिल्लाने पर उसका देवर पिंटू भुल्ला आया तो उसे भी पकरकर धारदार हसुआ से मार दिया जिससे उसके देवर का पीठ कट गया। गन्नु यादव, त्रिवेणी यादव एवं ललटू यादव ने उसके पति के गर्दन दबाकर पटक दिया तब उसकी ननदी आयी तो उसे भी सब मिलकर मारपीट किया तथा जमीन पर पकड़कर गिरा दिया। तब लोगे दौड़ के आये तथा उन सब को बचाया। जाते समय गाली गलौज और धमकी देते गये कि भोसड़ी केस मुकदमा करोगी तो बर्बाद कर देंगे। उन लोगों को जगह जमीन भी हड़प कर कब्जा कर लिया है। वे लोग इन लोगों को दुधकसोई से भगा देना चाहते हैं। वे लोग बहुत अत्याचार करते हैं। उन सभी की धमकी के डर से कल इलाज कराये और आज दिनांक–11.10.2023 को आवेदन दिया है।

3. उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.08.2025 को भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 448, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे उन्होंने इंकार किया एवं विचारण की माँग की।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 02 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. शोभा देवी (सूचिका) 2. पिंटू कुमार है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्त ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 शोभा देवी** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि दिनांक–07.10.2023 को 4 बजे वह घर पर थी। उसी समय गन्नु यादव, त्रिवेनी यादव, ललटु यादव, पलकु यादव, कुशल यादव आये और उसके साथ गाली गलौज एवं धक्का मुक्की करने लगे। इसी आशय का मुकदमा उसने थाना में किया, जिस पर उसका टिप्पा है। साक्षी न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त को पहचानती है। **प्रतिपरीक्षा** में साक्षी का कथन है कि यह मुकदमा गलतफहमी में किया था। नोटिस पर गवाही देने आयी हुँ। उसने सादे कागज पर निशान लगाया था। अभियुक्तगण ग्रामीण हैं इसलिए पहचानती है।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 पिंटू कुमार** ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना के बारे में वे कुछ नहीं जानते हैं। फलतः अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही (Hostile) घोषित किया गया।

8. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 448, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s),

3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

9. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी संख्या 1, जो इस केस की सूचिका है, ने अपने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि यह मुकदमा गलतफहमी में किया था तथा उससे सादे कागज पर निशान लगायी थी एवं अभियोजन साक्षी सं0–2 को विद्वान लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 448, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. त्रिवेणी यादव, 2. गन्नु यादव, 3. ललटु यादव, 4. पलकू यादव, 5. कुशल यादव एवं 6. कुमार यादव साह** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 448, 504, 506, सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s), 3(2)(va) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–24.03.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–24.03.2026